न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—जीसीएमएस नं. 2022/323

1. भौंरीलाल पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति माली निवासी ग्राम गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती मुन्नीदेवी पुत्री स्व. श्री जगन्नाथ, धर्मपत्नी श्री पूरणमल, जाति माली, निवासी ई—46, आनन्दपुरी, आर्दश नगर जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
2. श्रीमती धोली पुत्री श्री पन्नालाल धर्मपत्नी श्री शिवदयाल, जाति माली, निवासी 426, गोवर्धन नगर, टोल प्लाजा बम्बाला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स

3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

—प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट

4. बुद्धिप्रकाश शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासी गाम गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट

अपील सख्याः—जीसीएमएस नं. 2022/322

1. भौंरीलाल पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति माली निवासी ग्राम गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

4. धर्मपत्नी श्री पूरणमल, जाति माली, निवासी ई—46, आनन्दपुरी, आर्दश नगर जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
2. श्रीमती धोली पुत्री श्री पन्नालाल धर्मपत्नी श्री शिवदयाल, जाति माली, निवासी 426, गोवर्धन नगर, टोल प्लाजा बम्बाला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स

3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

—प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट

4. बुद्धिप्रकाश शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासी गाम गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—

1. **श्री संजय शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री रमेश शर्मा एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**
3. **श्री विष्णु शर्मा एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से,**
4. **श्री श्यामसुन्दर खण्डेलवाल एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से**

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

निर्णय

दिनांक: 25.07.2023

अपीलार्थी द्वारा यह दोनों अपीलें अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2022 एवं नामान्तरकरण संख्या 1521 दिनांक 27.05.2022 वाके ग्राम गोनेर पर पारित आदेश दिनांक 31.05.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने दोनों अपीलों के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है क्रि ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थिति भूमि खाता संख्या 186 खसरा नम्बर 3039/3654 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3047 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3048/3655 रकबा 0.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3049/3656 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3050 रकबा 0.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3051 रकबा 0.26 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3052 रकबा 0.36 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3053 रकबा 0.16 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3054 रकबा 0.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3055 रकबा 0.35 हैक्टयर खसरा नम्बर 3056 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3057 रकबा 0.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3058 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3059 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3060 रकबा 0.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3061 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3062 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3063 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3064 रकबा 0.20 हैक्टयर व खसरा नम्बर 3065 रकबा 0.34 हैक्टयर कुल किता 20 कुल रकबा 3.76 हैक्टयर की श्री जगन्नाथ पुत्र सुन्दरा माली की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी एवं राजस्व भू अभिलेखों में श्री जगन्नाथ पुत्र सुन्दरा माली का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज था।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी के पिता श्री जगन्नाथ को रूपयों की आवश्यकता होने पर उन्होने उक्त भूमि जमवारामगढ नव भारत गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड को विक्रय करने हेतु उक्त समिति के साथ दिनांक 20.01.1994 को एक अनुबंन्ध किया और आंशिक विक्रय राशि प्राप्त कर उक्त भूमि का वास्तविक कब्जा समिति को संभला दिया। कालान्तर में उक्त जमवारामगढ़ नव भारत गृह निमार्ण सहकारी समिति लिमिटेड ने श्री जगन्नाथ को समय–समय पर शेष विक्रय राशि अदा कर दी और श्री जगन्नाथ ने दिनांक 28.08.1994 को सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्त कर चुकती भुगतान प्राप्त होने का एक इकरारनामा उक्त समिति के हक में निष्पादित कर दिया और उक्त समिति ने उक्त भूमि पर ''जगदीश विहार'' के नाम से एक आवासीय योजना विकसित कर विभिन्न भूखण्ड अपने सदस्यों को आवंटित कर दिये। इस प्रकार उक्त भूमि पर समिति काबिज है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि खातेदार श्री जगन्नाथ का दिनांक 14.10.1994 को देहान्त हो गया और श्री जगन्नाथ की पुत्री श्रीमती मान्छी का भी वर्ष 1997 में देहान्त हो गया। जगन्नाथ की विरासत का

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

नामान्तरकरण संख्या 4 दिनांक 16.09.1998 को श्रीमती मुन्नी (रेस्पोडेन्ट संख्या 1) की सहमति से स्व. श्री जगन्नाथ के पुत्र अपीलार्थी के नाम तस्दीक कर दिया गया और राजस्व भू अभिलेखों में अपीलार्थी का नाम खातेदार कृषक के रूप में अंकित हो गया। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उपरोक्त वर्णित तथ्यों की प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी थी परन्तु फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए तथा गलत व आधारहीन तथ्य अंकित करते हुये उक्त नामान्तरकरण संख्या 4 दिनांक 16.09.1998 के विरूद्ध एक अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर दी और न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर के समक्ष खातेदारी अधिकारों की घोषणा, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु एक नियमित दावा भी प्रस्तुत कर दिया। उन्होने आगे कथन किया है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जयपुर ने उक्त अपील संख्या 280/2012 उनवानी श्रीमती मुन्नीदेवी बनाम भौंरीलाल का दिनांक 17.12.2014 को अपने आदेश द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये उक्त नामान्तरकरण संख्या 4 दिनांक 16.09.1998 को निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार सांगानेर का रिमाण्ड कर दिया कि वे पक्षकारान को नियमानुसार नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अर्न्तगत मृतक जगन्नाथ के वारिसान की जांच कर गुणावगुण के आधार पर पुनः अग्रिम कार्यवाही करें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी भौंरीलाल ने तहसीलदार सांगानेर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया कि श्रीमती मुन्नीदेवी ने अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जयपुर द्वारा दिनांक 17.12.2014 को पारित उक्त निर्णय के पश्चात् नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है और श्रीमती मुन्नीदेवी ने ही उपखण्ड अधिकारी सांगानेर के समक्ष एक नियमित दावा प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रखा है और अपीलार्थी ने अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2014 के विरूद्ध न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत कर रखी है। ऐसी स्थिति में सक्षम न्यायालयों के समक्ष नियमित प्रकरण विचाराधीन होने की वजह से नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जावें और तहसीलदार ने उक्त आवेदन पर दिनांक 26.02.2016 को यह आदेश पारित फरमा दिया कि उच्चतर न्यायलय में अपील एवं वाद विचाराधीन होने के आधार पर धारा 135(2) की कार्यवाही स्थगित रखी जाती है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट श्रीमती मुन्नीदेवी द्वारा प्रस्तुत दावें के साथ प्रस्तुत आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर ने दिनांक 23.05.2016 के आदेश द्वारा मूल वाद के निस्तारण तक उक्त वर्णित भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित फरमा दिया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तहसीलदार के समक्ष दिनांक 26.02.2016 को पारित उपरोक्त वर्णित आदेश के विरूद्ध एक नजरसानी याचिका प्रस्तुत की परन्तु उस नजरसानी याचिका को भी तहसीलदार सांगानेर के आदेश द्वारा निरस्त फरमा दिया।

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान् द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को निरस्त फरमा दिये जाने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट -संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय) जयपुर के समक्ष विचाराधीन वाद को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज करवा लिया जिसकी वजह से अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश स्वतः समाप्त हो गया और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तहसीलदार सांगानेर के समक्ष एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय) जयपुर के समक्ष विचाराधीन उक्त वाद दिनांक 24.05.2022 को निरस्त हो गया और अब किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई वाद विचाराधीन नही है और ना ही कोई स्थगन प्रभावी नही इसलिये मृतक खातेदार के उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही की जावें तथा तहसीलदार सांगानेर ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना ही कतई परवर्स अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी एव रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की माता स्व. श्रीमती नान्छीदेवी के पिता श्री जगन्नाथ ने ही उक्त भूमि जमवारामगढ नव भारत गृह निर्माण सहकारी समिति को विक्रय करने का दिनांक 20.01.1994 को एक विक्रय इकरारनामा तहरीर कर दिया और उसके पश्चात् सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त होने पर जगन्नाथ ने ही दिनांक 28.08.1994 को सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर चुकती भुगतान प्राप्ति का इकरारनामा उक्त समिति के हक में निष्पादित कर दिया और राजस्व भू अभिलेखों में अपीलार्थी का नाम खातेदार कृषक के रूप में हो जाने पर उक्त समिति ने अपीलार्थी से अनुरोध किया कि वह भी जगन्नाथ द्वारा दिनांक 28.08.1994 को तहरीर किये गये विक्रय अनुबंध पत्र के अनरूप ही एक इकरारनामा तहरीर कर दे। इस पर दिनांक 25.10.1998 को अपीलार्थी ने भी समिति के पक्ष में एक अनुबंध पत्र तहरीर कर दिया। भूमि विवादग्रस्त पर उक्त समिति ही निरन्तर काबिज रहकर उसका उपयोग–उपभोग कर रही है। स्व. श्री. जगन्नाथ द्वारा की गई कार्यवाही उसके उत्तराधिकारियों पर कानूनन बाध्यकारी है। भूमि विवादग्रस्त पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का वास्तविक कब्जा नही है। वास्तविक कब्जे के अभाव में तथा कब्जा पुनः प्राप्त करने की निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के भूमि विवादग्रस्त में यदि कोई अधिकार थे भी तो वे समाप्त हो गये परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उनके पक्ष मे अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। अतः दोनों अपीलों के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलान्ट की दोनो अपीले स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सागानेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2022 एवं नामान्तरकरण संख्या 1521 दिनांक 27.05.2022 वाके ग्राम गोनेर पर पारित आदेश दिनांक 31.05.2022 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2 ने कथन किया है कि ग्राम गोनेर स्थित भूमि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 3050 लगायत 3066 कुल किता

P.T.O.

...आयुक्त जयपुर

17 कुल रकबा 3.54 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 3047 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3039/3654 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3048/3655 रकबा 0.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3049/3656 रकबा 0.04 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.51 हैक्टयर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के नाना जगन्नाथ पुत्र सुन्दरा माली की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी तथा भूमि विवादग्रस्त के अभिलिखित खातेदार श्री जगन्नाथ के फौत होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार वादग्रस्त भूमि के अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर बराबर के खातेदार काश्तकार है किन्तु अपीलान्ट ने पिता श्री जगन्नाथ के फौत होने पर अपने पक्ष में अपने नाम नामान्तरकरण तस्दीक करवा लिया। यह कार्यवाही तहसीलदार सांगानेर ने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर की थी क्योंकि इस प्रकार के मामलों में राज्य सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 04.09.1982 के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार प्रथम 45 दिवस तक सम्बन्धित ग्राम पंचायत को है तथा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र का दुरूपयोग तहसीलदार ने किया। उन्होने आगे कथन किया है कि पटवारी हल्का ने दिनांक 15.09.1998 को विरासत का नामान्तरकरण भरा और अगले ही दिन दिनांक 6.09.1998 को बिना किसी जांच वारिसान की किये अपीलान्ट भौंरीलाल अकेले के नाम स्वीकार कर दिया गया जबकि हिन्दु विधि के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का उक्त कृषि भूमि में जन्म से अधिकार निहित है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल नामान्तरकरण स्वीकार किया किया था जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विधिक अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित हुये है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कथन किया है कि नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट को किसी प्रकार का कोई नोटिस नही जारी किया और न ही कब्जे की कोई जांच की गई जिससे नामान्तरकरण की जानकारी रेस्पोडेन्ट को नही हो सकी तथा जानकारी होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जिसे तहसीलदार के समक्ष पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदाने करने एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मृतक जगन्नाथ पुत्र सुन्दरा माली के वारिसान की जॉच कर गुणावगुण पर पुनः कार्यवाही हेतु रिमाण्ड किया गया जिसकी पालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रकरण में सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए एवं उभयपक्ष को सुनने के पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपीलान्ट की दोनों अपीले खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता के कथनों का समर्थन करते हुऐ कथन किया है कि भूमि विवादग्रस्त बाबत स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1521 दिनांक 31.05.2022 में दर्ज हिस्सा 2/5 के खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.06.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 4 द्वारा प्रतिफल राशि

P.T.O.

अदा कर क्रय की है तथा क्रय करने की दिनांक से रेस्पोडेन्ट संख्या 4 अपनी खरीदशुदा भूमि पर काबिज होकर निरन्तर काश्त करता आ रहा है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के मध्य भूमि विवादग्रस्त बाबत विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन/निर्णित हुऐ है किन्तु अपीलार्थी द्वारा किसी भी न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त आराजी के खातेदार जगन्नाथ की पुत्री साबित ना होती हो जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त आराजी के मृतक खातेदार जगन्नाथ की पुत्री है तथा खातेदार जगन्नाथ की मृत्यु पर उनकी विरासत का नामान्तरकरण मृतक खातेदार के वारिसान की बिना जांच किये ही केवल अपीलार्थी के नाम ही स्वीकार किया गया था जिसकी अपील होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जयपुर द्वारा प्रकरण तहसीलदार सांगानेर को मृतक खातेदार जगन्नाथ के वारिसान की जॉच करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत कार्यवाही हेतु रिमाण्ड किया गया था। अधिवक्ता अपीलान्ट का यह तर्क कि तहसीलदार द्वारा उन्हे सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो मानने योग्य नही है क्योंकि अपीलान्ट के अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे है तथा अपीलान्ट की ओर से दिनांक 26.02.2016 को एक प्रार्थना पत्र बाबत नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित रखे जाने हेतु भी प्रस्तुत किया गया है जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही अपीलार्थी की जानकारी में थी। अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में उनके पक्ष में किसी प्रकार की वसीयत/दान इत्यादि होने का कोई तथ्य प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रकरण में विधिक कार्यवाही करते हुए ही मृतक खातेदार जगन्नाथ के तीनों वारिसान के नाम बहिस्सा बराबर-बराबर नामान्तरकरण स्वीकार करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2022 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी या विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की दोनों अपीलें खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2022 एवं नामान्तकरण संख्या 1521 दिनांक 27.05.2022 वाके ग्राम गोनेर पर पारित आदेश दिनांक 31.05.2022 को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

25/7/23
संभागीय आयुक्त,
संभागीय आयुक्त
जयपुर